बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18 / 2016–   / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– विभागान्तर्गत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम में 3rd, 4th एवं 5th सिमेस्टर के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओं में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 3,00,00,000=00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विशेष कार्य पदाधिकारी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के पत्रांक–65, दिनांक 01.06.2017 के द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में 3rd, 4th एवं 5th सिमेस्टर के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओं में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 3,00,00,000=00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105–इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52–मशीनरी एवं उपस्कर विस्तृत शीर्ष के 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय एवं 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से क्रमशः रू॰ 20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र एवं रू॰ 2,80,00,000=00 (दो करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, सासाराम से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकरी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18/ 2016– 1843 /पटना, दिनांक– 2/8/017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/08/17
सरकार के उप सचिव

02/8/17